

## :: आदेश ::

प्रधान कार्यालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु नामित जनसूचना अधिकारी के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त आदेशों को अवकमित करते हुए निम्न व्यवस्था लागू की जाती है :-

| क्र० सं० | कार्यालय                               | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु नामित जनसूचना अधिकारी |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र हेतु | श्री अजय कृष्ण गुप्ता (प्रबन्धक विधि)                                                                |
| 2        | क्षेत्रीय कार्यालय हेतु                | सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक                                                                         |
| 3        | शाखा कार्यालय हेतु                     | सम्बन्धित शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक                                                                       |

जनसूचना के अन्तर्गत प्राप्त अपील के निस्तारण हेतु श्री अजय पाल सिंह, महाप्रबन्धक को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

(ए०के० सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

आदेशांक 26070

/स्थापना/विविध/2020-21

दिनांक 16-7-2020

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि आवंटित कार्यों का सम्पादन करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारीगण, उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक, उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्धक(आई०टी०सेल) को ई-मेल कराने हेतु।

(अभय सिंह)

महाप्रबन्धक (प्रशासन)